आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित

04/11/25

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -14/2019-20

भरत सिंह **बनाम** मंजु रानी सिंह

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P. A. Case No-08/2018-19 / P. A. Case No-09/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा P. A. Case No-08/2018-19 / P. A. Case No-09/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को पारित आदेश द्वारा मंजु रानी सिंह, पति-स्व0 कालीपद सिंह, साकिम-बान्दो, थाना-बिन्दापाथर को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है।

अपीलकर्त्ता भरत सिंह के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी दोनो द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा मे P. A. Case No-08/2018-19 एवं P.A. Case No-09/2018-19 द्वारा मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना किया गया। मौजा-बान्दो में लंबोदर सिंह जीवन काल में प्रधानी पद से निरस्त हुए थे। लंबोदर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कालीपद सिंह, जगन्नाथ सिंह, भरत सिंह एवं गजेन्द्र सिंह जीवित थे। लंबोदर सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र कालीपद सिंह मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्त हुए। अपीलकर्त्ता भूतपूर्व प्रधान कालीपद सिंह के भाई एवं पूर्व प्रधान लंबोदर सिंह के पुत्र है। अपीलकर्त्ता एक शिक्षक है। मंजु रानी सिंह एक निरक्षर महिला है एवं प्रधान का कार्य करने का कोई ज्ञान नहीं है। मंजु रानी सिंह द्वारा प्रधानी नियुक्ति के समय वर्ग चतुर्थ उत्तीर्ण होने का एक फर्जी प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में दाखिल किया गया था, लेकिन उनके द्वारा न्यायालय में फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करने के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही किया गया। निम्न न्यायालय में प्रधानी नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक) नियम, 1950, नियम 3(2) एवं अनुसूची V का अनुसरण नही किया गया।

उत्तरवादी मंजु रानी सिंह के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-बान्दो एक प्रधानी मौजा है। कालीपद सिंह मौजा के अंतिम प्रधान थे जिनकी मृत्यु दिनांक-04.01.2019 को हुई है। मंजु रानी सिंह अंतिम प्रधान स्व0 कालीपद सिंह के विधवा है। उनके कोई पुत्र नहीं है लेकिन तीन पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है। कालीपद सिंह के मृत्यु के पश्चात मंजु रानी सिंह द्वारा मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-24.01.2019 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में समर्पित किया गया, जो अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में P.A. Case No-08/2018-19 के रूप में दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, नाला के ज्ञापांक-628, दिनांक-29.04.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "प्रधान कालीपद सिंह के मृत्यु के पश्चात पत्नी श्रीमति मंजु रानी सिंह ने प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। मृत प्रधान कालीपद सिंह C.L.W से सेवानिवृत कर्मी था, आवेदक मंजु रानी सिंह शिक्षित एवं स्वस्थ्य है।" निम्न न्यायालय में मौजा-बान्दों के 16 आना रैयत को नोटिस तामिला किया गया। समक्षणिक अपीलकर्त्ता भरत सिंह जो कि स्व0 कालीपद सिंह के भाई है के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी कि न्यायालय जामताड़ा में समर्पित किया गया, जो कि P.A. Case No-09/2018-19 के रूप में दर्ज किया गया। मंजु रानी सिंह गत प्रधान स्व0 कालीपद सिंह के सबसे नजदीकी वंशज है, और प्रधानी पद हेतु योग्य एवं उपयुक्त होने कारण विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के P. A. Case No-08/2018-19 / P. A. Case No-09/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को पारित आदेश द्वारा मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्त किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा-बान्दो के प्रधान स्व0 कालीपद सिंह के दिनांक-04.01.2019 को मृत्यु के पश्चात उनके पत्नी मंजु रानी सिंह द्वारा दिनांक-24.01.2029 को मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल

परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत आवेदन समर्पित किया गया। स्व0 कालीपद सिंह के भाई भरत सिंह द्वारा भी दिनांक-21.02.20219 को मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत आवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा मंजु रानी सिंह जो गत प्रधान के सबसे नजदीकी वंशज एवं प्रधानी हेतु योग्य एवं उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P. A. Case No-08/2018-19 / P. A. Case No-09/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को पारित आदेश द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत आधार पर मंजु रानी सिंह को मौजा-बान्दो के प्रधानी पद पर नियुक्ति किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P. A. Case No-08/2018-19 / P. A. Case No-09/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.11.14 10:36:13 +05:30
Location: 192.168.1.106